

17/02
25

पत्रावली पेश हुई। वक्रुष प्राथी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनकान के अनुसार तीन बार आवार्ण लगाई जाने के वावश्रुद प्राथी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम चेरकीमि खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम है।



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली